स्थापना : 1959 पंजीयन क्र.: 59

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज,रायपुर (छ.ग.)

चौ. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन. द्वितीय तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.) 492001

Chhattisgarh Chamber of Commerce & Industries, Raipur (C.G.)

Ch. Devilal Vyapar Udyog Bhawan, 2nd Floor, Bombay Market, Raipur (C.G.) INDIA

CCCI

Ph.: 0771-2539275, 4034572 , Fax : 0771-2539275

Website : www.cgchamber.org Email : info.cgchamber@gmail.com

दिनांक: 2 जून 2020

आत्मनिर्भर भारत में उद्योग-व्यापार को राहत: चैम्बर ने वीडियो कांफ्रेंस मध्यम से दी जानकारी

छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उद्योग व्यापार को होने वाले आर्थिक राहत/ फायदों की जानकरी हेतु वीडियो कांफ्रेंस मीटिंग का आयोजन किया गया

कार्यक्रम संयोजक प्रकाश अग्रवाल, लोकेश चन्द्रकान्त जैन ने बताया कि सिडबी के स्टेट हेड श्री सी वी के डी प्रभु , सीए विकास गोलछा , सीए दिलीप जैन व सीए अंकिता मुंदड़ा द्वारा विस्तार से जानकारी और जिज्ञासाओं के जवाब दिए गए, अध्यक्ष श्री जितेन्द्र बरलोटा के स्वागत उदबोधन से प्रारम्भ हुई

सीए विकास गोलछा ने शुरुआत करते हुए बताया कि आत्म निर्भर भारत योजना के तहत केंद्र शासन ने 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज का प्रोविजन किया है

इसमें वर्तमान बिज़नेस लोन का 20 प्रतिशत तक और लोन दिया जा सकता है, इसका लाभ वही व्यापारी उठा सकते है जिनका वर्ष 2019-20 का टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नही है , साथ ही उनकी वर्तमान लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 25 करोड़ से अधिक नही है,

यह अतिरिक्त लोन चार वर्षों के लिये मिलेगा जिसमे 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड रहेगा और उसके बाद 36 किश्तों में इसका रीपेमेंट होगा

इस लोन पर अधिकतम 9.25 % की ब्याज दर बैंको द्वारा चार्ज की जाएगी , यह दर NBFC के केस में अधिकतम 14 प्रतिशत रहेगी ,

इसमे अतिरिक्त कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नही होगी साथ ही प्रोसेसिंग फीस भी नही लगेगी ,इसकी गारंटी भी सरकार देगी।

इस स्कीम में आवेदन करने की समय सीमा 23 मई 2020 से 31अक्टूबर 2020 तक है अथवा 3 लाख करोड़ के लोन के अप्रूवल तक ही यह स्कीम लागू रहेगी

इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप से उपस्थित सिडबी प्रमुख श्री सी वी के डी प्रभु ने जानकारी दी की व्यापारियों को किस प्रकार उनकी बैंक स्माल एवं मध्यम सेक्टर के उद्यमियो को लोन उपलब्ध कराती है

कोविड19 को देखते हुए सरकार आधारित मैन्युफैक्चरिंग अथवा सर्विस सेक्टर को 5 प्रतिशत की दर से लोन उपलब्ध करा रही है इस सूची में मास्क , ग्लव्स ,हैंड सनटीज़र्स को शामिल किया गया है, उन्होंने बताया कि आत्मा निर्भर भारत स्कीम का संचालन करने की जिम्मेदारी SIDBI को दी गई है

सीए दिलीप जैन ने 20 लाख करोड़ की स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कैसे केंद्र सरकार मार्केट में कैश फ्लो करने के लिए किस तरह विभिन स्कीम्स के तहत उद्योगों को फंड्स उपलब्ध करा रही है

क्या राहत सरकार ने उद्योगों को कोविड19 की दुष्प्रभावो से उभरने के लिए दिए ? जिससे वे अपने व्यापार को पहले जैसे संचालित कर पाये ।

MSME की परिभासा में क्या परिवर्तन किया गया और इसका क्या परिणाम देखने को मिल सकता है इस पर भी विस्तार से जानकारी प्रदान की।

सीए अंकिता मूंदड़ा जी ने बताया की वर्तमान में किन किन उद्योगों की डिमांड है, फ़ूड प्रोसेसिंग , फार्मास्यूटिकल आदि साथी ही ओर्गानीक फार्मिमग छेत्र में भी अपार संभावनाएं है। उन्होंने स्टार्टअप चालू करने की प्रक्रिया साथ ही इसके पंजियन के संबंध में बताया , इसके कौन कौन से लोन स्कीम वर्तमान में उपलब्ध है उसके बारे में भी व्यापारियो को जानकारी दी । व्यापरियों का वर्तमान में जो लोन चल रहा है उनकी ब्याज दरे कैसे घटाई जा सकती है इस प्रक्रिया से भी अवगत कराया व महिला उद्यमियो के लिए दी उपलब्ध स्कीम की जानकारी प्रदान की

इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की उद्योग नीति 2019-24 के बारे भी बताया जिसमे उच्च प्राथमिक , प्राथमिक , एवं अपात्र उद्योगों के अनुसार साथ ही क्षेत्र की श्रेणी अनुसार ब्याज में सब्सिडी जो कि 10 लाख से अधिकतम 55 लाख तक वार्षिक हो सकती है

स्थायी पूंजी निवेश भी सूक्ष्म उद्योगों के लिए 10 लाख से 24 लाख तक मिल सकते है। व्यापारी उद्योग नीति के अनुसार नए व्यापार भी शुरू कर सकता है और उद्योग नीति का भरपूर लाभ उठा सकता है।

वीडियो कांफ्रेंस में प्रमुख रूप से चेयरमैन रमेश गाँधी , मंत्री अश्वनी विग ,मंत्री प्रकाश लालवानी, विजय गोयल सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुए।

जारीकर्ता लोकेश जैन, चैम्बर उपाध्यक्ष- M: 9425214021